प्रेस नोट **27 / 11 / 2022**

तीन शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से एक सिक्सर सहित 03 अवैध तमंचा व 04 जिंदा कारतूस एवं एक चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 27.11.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बान्ध मोड़ टोस नदी पुल के पास से चेकिंग के दौरान एक मोटरसाईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को रोकने के इशारे पर अचानक पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किये जिससे मोटरसाईकिल अनियंत्रित हो गयी, जिस पर मौजूद पुलिस बल द्वारा तत्परता दिखाते हुये उक्त तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा अपना नाम क्रमशः अशोक कुमार उर्फ छोटू पुत्र संजय मल निवासी सब्जी मंडी कस्बा व थाना मधुबन, हिमांशू उर्फ बलबीर मल पुत्र स्व0 नारद मल निवासी खीरी कोठा थाना मधुबन व पंकज यादव पुत्र चंन्द्रिका यादव निवासी मिश्रौली थाना घोसी मऊ बताया गया। तलाशी के दौरान उक्त तीनों के कब्जे से क्रमशः एक अवैध तमंचा 303 बोर व एक जिंदा कारतूस 303 बोर, एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक देशी नाजायज सिक्सर 32 बोर व 02 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि हम तीनों मिलकर मोटरसाईकिल चोरी करते है, यह मोटरसाईकिल लगभग एक महीने पहले हम लोगों ने मुहम्मदाबाद से चुरायी थी तथा पकड़े जाने के डर से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की गाड़ी को बेंच देते हैं। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 621/22 धारा 41,411, 413,419,420 भादवि, मु0अ0सं0 622/22 धारा 3/7/25 आयुद्ध अधि0, मु0अ0सं0 623, 624/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. अशोक कुमार उर्फ छोटू पुत्र संजय मल निवासी सब्जी मंडी कस्बा व थाना मधुबन।
2. हिमांशू उर्फ बलबीर मल पुत्र स्व0 नारद मल निवासी खीरी कोठा थाना मधुबन।
3. पंकज यादव पुत्र चंन्द्रिका यादव निवासी मिश्रौली थाना घोसी मऊ।

बरामदगी–

1. एक अवैध तमंचा 303 बोर व एक जिंदा कारतूस 303 बोर।
2. एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर।
3. एक देशी नाजायज सिक्सर 32 बोर व 02 जिंदा कारतूस।
4. एक चोरी की मो0सा0 सूपर स्प्लेंडर (फर्जी नंबर प्लेट के साथ)।

दिनांक 23.08.2022 को थाना कोतवाली अन्तर्गत अली बिल्डिंग के सामने से मोटरसाइकिल के डिग्गी से रूपये चोरी की घटना का खुलासा, घटना में संलिप्त एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 57 हजार रूपये तथा अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद–

आज दिनांक 27.11.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुदनपुरा मदरसा के पास से मो0 अनत पुत्र सुल्तान दानिश निवासी रधुनाथपुरा मासूम तकिया थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा चोरी के 57 हजार रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त चोरी की सूचना थाना स्थानीय पर वादी जमील अख्तर पुत्र अबुलफैज अंसारी निवासी चकरा थाना हलधरपुर द्वारा दी गयी थी जो दिनांक 23.08.2022 को अपने मोटरसाइकिल के डिग्गी मे रूपये रख कर अली बिडिंग से कुछ समान खरीद रहे थे जो वापस आने पर देखे की उनके मोटरसाइकिल का डिग्गी खुला है तथा रूपये गायब है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 413/22 धार 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत

किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी तथा बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 522/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

04 किग्रा 500 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक तश्कर गिरफ्तार–

आज दिनांक 27.11.2022 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थलईपुर रेलवे कासिंग के पास से मो0 आरिफ पुत्र समसुद्दीन निवासी रैकवारीडीह थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से एक छोली में 04 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 363/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 27.12.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन रोड के पास से मु0अ0सं0 294/22 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मो0 रजा उर्फ मो0 सफिर पुत्र मो0 मोज्तबा निवासी मलिकटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्ति तथा 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 27.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा चन्दन कुमार निवासी निजामपुर थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा धीरेन्द्र यादव निवासी रेयाव थाना दोहरीघाट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा चन्दन, विकाश, उमेश साहनी, अजय साहनी, लल्लन साहनी निवासीगण पुराघाट थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा सोचन, अनिल, सुनिल निवासीगण सिद्धा अहिलासपुर थाना मधुबन, थाना रामपुर पुलिस द्वारा मनीषा यादव, संगीता यादव निवासीगण हसनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र सम्भली, महेन्द्र पुत्र रामधारी, राजू पुत्र बदरू निवासीगण ताजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।